# न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152
email - scdisability2008@gmail.com


वाद संख्या-02/2018 दिनांक-..06.08.18

के मामले में,

दिव्यांगजनों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा खेल-कूद के लिए दिव्यांगजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं पुरस्कारों के सम्बन्ध में कार्यालय को समर्पित आवेदन। — वादी

**बनाम**

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय
कला संस्कृति एवं युवा विभाग,
(निदेशक के माध्यम से)
बिहार, पटना। — प्रतिवादी

**सुनवाई की तिथि : 06.08.2018**

<u>उपस्थिति</u>

(1) वादी : अनुपस्थित
(2) प्रतिवादी : उपस्थित

## <u>आदेश</u>

विविध दिव्यांगजनों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा कार्यालय को आवेदन समर्पित कर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप खेल-कूद के लिए दिव्यांगजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं पुरस्कारों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. वादियों ने अपने परिवाद पत्र में उल्लेख किया कि छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों एवं दिव्यांग खिलाड़ियों के खेल प्रशिक्षकों को सामान्य खिलाड़ियों व सामान्य खिलाड़ियों के खेल प्रशिक्षकों के समरूप पुरस्कार प्रदान नहीं किये जाते है। राजधानी सहित अन्य जिलों में भी दिव्यांगजनों हेतु विविध खेलों, व्यक्तिगत स्पर्धा तथा टीम स्पर्धा इत्यादि के लिए खेल परिसरों का अभाव है। साथ ही कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा संचालित खेल परिसरों में दिव्यांग खेल-कूद संघ के लिए कार्यालय आवंटित नहीं किये गये है।

3. कार्यालय के पत्रों पत्रांक-172/आ0नि0को0 दिनांक-19.05.2018 (परिवादी का नाम शम्स आलम), पत्रांक-214/आ0नि0को0 दिनांक-26.05.2018 एवं पत्रांक-215/आ0नि0को0 दिनांक-26.05.2018 तथा स्मार पत्र पत्रांक-408/आ0नि0को0 दिनांक-16.07.2018 (परिवादी का नाम संदीप कुमार, निदेशक, पैरा ओलिम्पिक कमिटी ऑफ बिहार), पत्रांक-294/आ0नि0को0 दिनांक-18.06.2018 एवं पत्रांक-386/आ0नि0को0 दिनांक-09.07.2018 (परिवादी का नाम शरद कुमार, पिता-श्री सुरेन्द्र कुमार), पत्रांक-413/आ0नि0को0 दिनांक-16.07.2018 (विषय-अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं और खेल प्रशिक्षक को पुरस्कार हेतु बिहार राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत सामान्य एवं दिव्यांगों को प्रदत्त पुरस्कार राशि में विभेद किये जाने के सम्बन्ध में) तथा पत्रांक-407/आ0नि0को0 दिनांक-16.07.2018 (राज्य आयुक्त निःशक्तता के साथ बैठक हेतु सुविधानुसार तिथि एवं समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में) द्वारा उक्त परिवादों के विषय में नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

कृ0पृ0अ.....

Scanned with CamScanner

4. छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कार्यालय के उक्त पत्रांकों के संदर्भ कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न हीं किसी प्रकार का पत्राचार किया गया।

5. उक्त स्थितिनुसार इस न्यायालय द्वारा सम्बन्धित मामले में सुनवाई हेतु दि0-06.08.2018 की तिथि निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री आनन्दी कुमार, सहायक निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय (यथा प्राधिकार) उपस्थित हुये। वादियों को उनकी दिव्यांगता की वजह से होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी। प्रतिवादी पक्ष से उपस्थित पदाधिकारी द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का पत्रांक-229 दि0-03.08.2018 न्यायालय को समर्पित किया गया।

6. उपलब्ध अभिलेखों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं, मामले से सम्बन्धित तथ्यों तथा इस वस्तुस्थिति की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में दिव्यांग खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में अधिक मेडल/पदक प्राप्त कर राज्य को गौरवांवित किया है, पर सम्यक विचार करने के पश्चात् इस मामले में प्रतिवादी को अनुपालन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :-

(i) अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार दिव्यांग खिलाड़ियों एवं सामान्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली खेल पुरस्कार की राशि समान की जाय।

(ii) दिव्यांग खिलाड़ियों एवं सामान्य खिलाड़ियों के खेल प्रशिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पुरस्कार की राशि समान की जाय।

(iii) दिव्यांग खेल-कूद संघों को अन्य की तरह समानता देने की प्रथम कड़ी के रूप में पटना स्थित पाटलीपुत्र खेल परिसर में दिव्यांग खेल-कूद संघ को कार्यालय का आवंटन एक पक्ष के भीतर किया जाय।

(iv) वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रमण्डल स्तर पर आयोजित ऐथेलिटिक्स प्रतिस्पर्धा के समरूप दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अन्य व्यक्तिगत स्पर्धा एवं टीम स्पर्धा से सम्बन्धित खेलों यथा बैडमिन्टन, क्रिकेट, तैराकी इत्यादि के सम्बन्ध में खेल प्रतिस्पर्धाओं के जिला स्तर पर आयोजन को वार्षिक खेल कैलेन्डर में शामिल किया जाय।

(v) राजधानी पटना स्थित खेल परिसरों यथा पाटलीपुत्र खेल परिसर, बी0पी0 सिन्हा शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर तथा मोईनुल हक स्टेडियम सहित बिहार के सभी जिलों में स्थित खेल परिसरों (इन्डोर एवं आउटडोर) को दिव्यांग खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु निःशुल्क एवं निर्बाध सुलभ कराया जाय एवं उनमें बाधामुक्त वातावरण का निर्माण सुनिश्चित किया जाय।

(vi) राज्य द्वारा सामान्य खिलाड़ियों के लिए संचालित एकलव्य केन्द्रों (आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र) के समरूप दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी प्रत्येक जिले में एकलव्य केन्द्र (आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र) की स्थापना की जाय तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय एक्सीलेन्स केन्द्र (Excellence Centre) की स्थापना की जाय।

06.08.18

(डॉ0 शिवाजी कुमार)
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner